

पत्र सं. 974-ई/3/एसबीएफ कैम्प/अंबाला/2024  
दिनांक: 25.09.2024

मंडल कार्यालय  
अंबाला छावनी

कैटेगरी 'जी'  
उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल

**विषय:** अंबाला मंडल का जनवरी- 2025 में अंडेमान निकोबार में कर्मचारी शिविर का आयोजन।

कर्मचारी हित निधि/अंबाला मंडल समिति द्वारा सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी शिविर अंडेमान निकोबार में जनवरी 2025 लगाया जाना है, (अनुमानित तिथि 28.01.2025 से 01.02.2025 है) शिविर में कुल शिविरिकों की संख्या 50 होगी। इस शिविर की तिथि, प्रस्थान का समय इत्यादि निश्चित होने के पश्चात् शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। क्योंकि यह सुदूर प्रदेश है जहां पर सड़क मार्ग के अतिरिक्त हवाई मार्ग से यात्रा पर विचार किया गया है, चुंकि हवाई यात्रा तथा अन्य खर्च कि सीमा काफ़ी है इसलिए प्रत्येक प्रतिभागी को शिविर प्रभार के रूप में रूपये 12,000/- (बारह हजार रु0) आवेदन फार्म के साथ जमा कराने होंगे। आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन करने और उसका अन्तिम रूप से चयन होने पर यदि वह कैम्प में भाग नहीं लेता तो उसकी कैम्प फीस 12,000/- (बारह हजार रु0) वापिस नहीं की जाएगी।

**आवेदन की शर्तें तथा नियम:-**

1. कर्मचारी की रेलवे में कुल सेवा कम से कम पांच वर्ष की होनी चाहिए।
2. कर्मचारी का पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं निरोगी होना आवश्यक है।
3. इस शिविर में भाग लेने वाले कर्मचारी को अपना रेलवे द्वारा जारी पहचान पत्र अवश्य अपने साथ शिविर में लाना होगा।
4. जिन कर्मचारियों ने मंडल या प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित किसी भी कर्मचारी शिविर में पूर्व में भाग नहीं लिया है, उन कर्मचारियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि आवेदनकर्ता निर्धारित संख्या से कम होंगे तो ऐसे कर्मचारियों के नामों पर तभी विचार किया जा सकता है। चयन के लिए कर्मचारियों को रेलवे डॉक्टर से इस आशय का फिट प्रमाण पत्र लेना होगा कि कर्मचारी शिविर में भाग लेने के लिए योग्य है।
5. शिविर प्रभार आवेदन पत्र के साथ हित विभाग में श्री विनोद कुमार वालिया मुख्य हित निरीक्षक /कार्यिक शाखा के पास निर्धानित तिथि या इससे पूर्व जमा करना होगा।

Carlo...

(5)

शिविर में भाग लेने वाले कर्मचारी शिविर की सफलता के लिए ख्याली जिम्मेदार होंगे, तथा रेलवे प्रशासन की छवि बनाए रखने के लिए अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित कर्मचारी को शिविर से वापिस भी भेजा जा सकता है।

कर्मचारियों को शिविर में सम्मिलित होने के लिए अपनी छुट्टी तथा अपना पास लेना होगा। अतः जो भी कर्मचारी इस कैम्प में भाग लेना चाहते हैं तथा उपरोक्त शर्तें पूरी करते हैं वे निर्धारित संलग्न प्रोफॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र इस कार्यालय की हित शाखा, मंडल कार्यालय में 25.10.2024 तक निर्धारित शिविर शुल्क तथा डॉक्टरी प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक पहुंच जाने चाहिए। उपरोक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बारे में अपने अधीन सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाए तथा इस पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट पर सभी कर्मचारियों की सूचना हेतु लगाएं।

संलग्न:- आवेदन पत्र/ फार्म

25/10/2024  
वरिऊ मंडल कार्मिक अधिकारी  
उत्तर रेलवे, अंबाला छावनी

**प्रतिलिपि:-**

1. पीपीएस/म.रे.प्र. एवं पीएस/अं. म.रे.प्र. के सूचनार्थ।
2. मंडल सचिव/एनआरएमयू/अंबाला मंडल।
3. मंडल सचिव/ यूआरएमयू/अंबाला मंडल।
4. मंडल सचिव/ ओबीसी संगठन अंबाला मंडल।
5. मंडल सचिव/ एससी/एसटी/ संगठन अंबाला मंडल।
6. सभी शाखा अधिकारी/अम्बाला मंडल।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अम्बाला:- कृप्या उपरोक्त शिविर में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों की डॉक्टरी परीक्षा करने की व्यवस्था करें।
8. सभी खण्ड स्टॉफ एवं हित निरिक्षक अम्बाला मंडल अपनी -अपने सैक्षण बिट मे इसका व्यापक प्रचार करें।
9. रेलवे भर्ती बोर्ड/चंडीगढ़

## उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल

(A)

जनवरी, 2025 में अंडेमान निकोबार में लगाये जा रहे कर्मचारी शिविर के लिए आवेदन

सं. पत्र सं. 974-ई/हित/कर्मचारी शिविर/अम्बाला/2024-25

1. कर्मचारी का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. जन्म तिथि : .....
4. पदनाम/स्टेशन : .....
5. वेतन दर तथा ग्रेड पे. : .....
6. नियुक्ति की तिथि : .....
7. मो0 नं0 ५४ ७८९५४११ : .....
8. क्या पूर्व मे प्रधान कार्यालय व मंडल द्वारा आयोजित

किसी शिविर मे भाग लिया है तो कब और कहॉ .....(स्वयं सत्यापित  
आधार कार्ड कि प्रतिलिपि संगलन करे।)

### घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन करते समय कोई भी तथ्य छिपाये नही है और मैंने उपरोक्त सभी विवरण सही दिये है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि शिविर के दौरान शिविर के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का पूरी तरह से पालन करूँगा/करूँगी और इन नियमों के उल्लंघन किए जाने पर मेरे विस्तृ अनुशासनिक कार्यवाही की जाए। मैं शिविर के दौरान मांसाहारी भोजन का तथा मद्य/शराब या किसी भी प्रकार के मादक/नशीले पदार्थ का प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करूँगा/करूँगी और शिविर प्राधिकारियों द्वारा दिया गया भोजन ही ग्रहण करूँगा/करूँगी और शिविर के अनुशासन को बनाए रखूँगा।

उपरोक्त घोषणाएं सही हैं तथा शिविरों के नियमों के उल्लंघन करने पर उक्त परिणामों से अवगत होने पर ही मैं यहां हस्ताक्षर कर रहा/रही हूँ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर.....

दिनांक .....  

---

### इच्चार्ज द्वारा

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी का उपरोक्त सेवा विवरण इस कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार बिल्कुल सही है। यदि कर्मचारी का चयन इस शिविर में हो जाता है तो उसे इस अवधि की छुट्टी प्रदान कर दी जाएगी। तथा इस के द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण सत्य पाये गये हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर (वरि.अधीनस्थ/इंचार्ज)

स्थान.....

कार्यालय की मोहर सहित

---

### स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
पद..... की स्वास्थ्य की जाच कर ली गई है वह किसी भी रोग से पीड़ित नहीं है। वह अंडेमान निकोबार के शिविर में भाग लेने हेतु पूर्णतया फिट है।

दिनांक.....

मंडल चिकित्सा अधिकारी

स्थान.....

उत्तर रेलवे अम्बाला छावनी।